"उपर्युक्त नियमों के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण।"

आप विवरण देख लीजिये। यह विवरण संतोषजनक नहीं है। हमारा हिन्दी का काम अंग्रेजी के साथ साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर श्री यादव भी इसको नहीं करा सकते तो उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हट जाना चाहिये।

श्री डी० पी० यादव : काम हो गया है रख दिया जाएगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अभी तक क्यों नहीं कर लिया था?

अध्यक्ष महोदय : यह वह कहते कि नहीं रखेंगे तो झगड़ा होता। यह तो यह कहते ही नहीं हैं।

अटल बिहारी बाजपेयी : कह सकते ही नहीं हैं। उन्हें हिन्दी अंग्रेजी साथ साथ रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आगे से तो पहले आना शुरू हो जाएगा।

अटल बिहारी बाजपेयी : कारणों को पढ़िये। देर क्यों लगी।

अध्यक्ष महोदय : कारण भी देख लूंगा और इनको डायरेक्शन भी दे दूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : अंग्रेजी के बारे में कभी ऐसा नहीं होता है तो हिन्दी के बारे में क्यों होता है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या पता था कि आपको आ जाना है।

12.22 hrs.

ESSO (ACQUISITION OF UNDERTAKINGS IN INDIA) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Esso Eastern Inc. in relation to its undertakings in India with a view to ensuring co-ordinated distribution and utilisation of petroleum products distributed and marketed in India by Esso Eastern Inc. and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Esso Eastern Inc. in relation to its undertaking in India with a view to ensuring co-ordinated distribution and utilisation of petroleum products distributed and marketed in India by Esso Eastern Inc. and for matters connected therewith or incidental thereto".

There is the name of only one Member to oppose it. Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय इस विधेयक के केवल एक अंश का मैं विरोध करना चाहता हूं। एक अर्से से मैं पैट्रोलियम मंत्री को लिख रहा हूं। जब से इनकी एसो के साथ बात-चीत शुरू हुई 74 परसेंट इंटेरेस्ट लेने के बारे में एसो कम्पनी ने गुप्त ढंग से उसकी जो जायदाद बम्बई में है उसके जो पेट्रोल पम्प हैं उनको बेचने का काम चालू किया है। तीन मामले मैंने पैट्रोलियम मंत्री के सामने रखे थे। उसके पैट्रोल पम्प ग्रांट रोड, नेपियन सी रोड और ब्लाइट रोड पर हैं। एक-एक पम्प को बीस-बीस लाख रुपये में बेचने का काम इसने शुरू किया है। एक पेट्रोल पम्प तो यह बेच भी चुकी है। मंत्री महोदय ने अपने पत्र में मुझे यह आश्वासन दिया था :

"As you will have observed from the newspaper reports, we have already reached an agreement in principle with Esso to acquire 74 per cent equity in their operations and they have assured us that they would not make any dis-investment".

[श्री मधु लिमये]

इस आश्वासन के बावजूद एक पेट्रोल पम्प बेचने का काम उसने पूरा कर लिया है और दो पेट्रोल पम्प वे लोग बेचने वाले है। मै जानना चाहता हू कि इसके बारे मे सरकार क्या करने जा रही है? इसकी जानकारी पहले सदन को मिलनी चाहिये। वर्ना एक कम्पनी के बारे मे जो बम्बई की कम्पनी थी हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और हम लोगों को बीच मे पड़ना पड़ा था और यहां भी वैसा ही हो सकता है। विदेशी कम्पनिया अक्सर ये सारे काम करती हैं। मैं माग करता हू कि विधेयक को पेश करने की स्वीकृति देने के पहले इन बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री शाहनवाज खां जिस दिन से यह एग्रीमेंट अमल में आएगा उस दिन के बाद इसका कुछ करने की इजाजत नही होगी। जब तक यह अमल मे नहीं आता है और उसके पहले वह क्या करती है इसके बारे मे हम कुछ नही कर सकते है।

श्री मधु लिमये एक अर्से से इनकी बातचीत चल रही है। बरुआ साहब का पत्र मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि डिसइनवेस्ट करने की इजाजत इनको नहीं मिलेगी। क्या यह सही नहीं है कि एक पेट्रोल पम्प वह बेच चुकी है और दो बेचने जा रही है? कम से कम जो बेचने जा रही है उस मामले को तो आप स्थगित करवाइये। ये कभी तैयार नहीं रहते है। इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और कैबिनेट मिनिस्टर कहा है?

MR. SPEAKER . You may take up these matters at the time the Bill on nationalisation is taken up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour). On the assets and value of these foreign oil companies as far as India is concerned, he has given a very clear picture. Now they are going to give them *salaam* –(*Interruptions*) The Minister can give us some information.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Mr. Madhu Limaye has raised a pertinent question, and the Minister should answer that question

They are selling this firm.

MR SPEAKER: All this can be raised at the time of consideration.

श्री मधु लिमये आज ही इसका स्पष्टीकरण आना चाहियें। एक घंटे के बाद स्पष्टीकरण दे तो उसके बाद इसको पेश करने की इनको इजाजत मिलनी चाहियें। हम चाहते है कि यह बिल पास हो जाए लेकिन यह तरीका नहीं है।

MR SPEAKER I will now put this motion before the House.

श्री मधु लिमये आपका निर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय हर बात पर क्या निर्णय दू और कितने निर्णय दू?

श्री मधु लिमये पार्लियामेंट का मखौल बना लिया है इन लोगों ने।

MR SPEAKER The question is

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Esso Eastern Inc., in relation to its undertakings in India with a view to ensuring co-ordinated distribution and utilisation of petroleum products distributed and marketed in India by Esso Eastern Inc. and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN. Sir, I introduce* the Bill

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, a very serious development has taken place in an Assembly constituency in Bengal (*Interruptions*).

MR. SPEAKER · Kindly do not mention matters which I have not allowed He should not mention it without getting my permission. Today I have allowed only one submission under rule 377.

*Introduced with the recommendation of the President.

If there is anything worng with the election, they can go to the Election Commissioner. On the other hand, if it is a question of law and order, it is a State subject and it cannot be raised here. Members cannot fight the elections in this House. If they want to refer to any point, they will get an opportunity today during the discussion on the Motion of Thanks to the President.

Today I have allowed only Shri Madhu Limaye to speak under rule 377. I am not permitting anybody else to raise any point now They cannot raise any point of order because there is nothing before the House

Now, Shri Madhu Limaye

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान एक प्रेस रिपार्ट की ओर खींचना चाहता हूं। यह बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई है। चीफ इलेक्टरल आफिसर ने कहा है कि गाईघाटा चुनाव-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर ने पांच पोलिंग बूथों पर मतगणना रोक दी है। गणना तब तक नहीं होगी जब तक चुनाव आयोग से निर्देश नहीं मिलेगा .....

MR SPEAKER. You have quoted the electoral officer's report. I can send that to the Law Minister. You can get factual information as may be ascertained from the electoral officer's office. So far as the other matters are concerned, they cannot be our subject.

I am not permitting any one on this issue. This House cannot decide which election is good or which election is bad It is for the Election Commissioner to decide.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): As a protest, we walk out.

Shri Jyotirmoy Bosu and some other members then left the House

MR. SPEAKER: I will tell you, in one of the elections where I was concerned some people lifted the ballot boxes and ran away. I followed the procedure of going to the Election Commissioner. I did not go to Parliament or the Legislative Assembly. There are procedures laid down for it. It was in 1962 that it happened. They ran away with the ballot boxes. They were later on dealt with. But I followed the procedure.

Shri Madhu Limaye.

12.40 Hrs.

MATTER UNDER RULE 377

LEVY IMPOSED BY INDIAN COTTON TEXTILE EXPORT PROMOTION COUNCIL ON COTTON YARN, ETC.

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय, यह कर सम्बन्धी मामला है और मुझे इस बात पर अफसोस है कि संचार मंत्री और व्यापार मंत्री या तो संविधान की जानकारी नहीं रखते है या जानबूझ कर संविधान की धाराओं का उल्लंघन होने दे रहे है। संविधान की 265 धारा में साफ शब्दों में लिखा है कि—

"No tax shall be levied or collected axcept by authority of law"

बिना कानून पास किए कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर सकती। लेकिन आपका ध्यान मैं दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जिस से बिल्कुल साफ होगा कि संविधान की इस धारा का उल्लंघन सरकार करती जा रही है।

टेलीफोन विभाग का जहां तक सवाल है जो संचार मंत्रालय के मातहत आता है उसमें टेलीफोन के लिए जो नई अर्जियां दी जाती है उनके ऊपर दस रुपये की लेवी लगा रखी है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है और मेरी राय में संविधान की 265 धारा का यह स्पष्ट उल्लंघन है। बिना कानून बनाए न सरकार कोई टैक्स लगा सकती है न लगाने की अनुमति दे सकती है। तो टेलीफोन विभाग के द्वारा 265 धारा का जो उल्लंघन किया गया है उसके बारे में खुलासा आना चाहिए और मंत्री महोदय ने अगर पार्लियामेंट के अधिकारों के ऊपर आक्रमण किया है तो यह मामला पार्लियामेंट की या तो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी या प्रिविलेजेज कमेटी के सामने आना चाहिए